का उपबन्ध है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राजस्थान में मरूभूमि परिसर का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य नगर तथा ग्राम संगठन को नहीं सौंपा गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Jerseys purchased for the staff of DDA

2122. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "DDA mein lakhon rupaye ki Jarsion ki Dhandli" as reported in the Nav Bharat Times dated the 25th October, 1987;

(b) if so, whether it is a fact that the Jerseys procured by the DDA from the different agents are sub-standard and even the colours of the jerseys have faded; and

(c) the steps Government propose to take against those who are involved in such fictitious deals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The D.D.A. have denied this.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Housing by non-resident Indians

2123. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Non-resident Indians (NRIs) have been permitted by Government to construct houses in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) to what extent the steep problem of housing in the country is likely to be solved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Government have not permitted Non-Resident Indians (NRIs) to invest in Housing construction on a commercial basis. The question of the impact of such investment on the problem of housing in the country does not, therefore, arise.

उत्तर प्रदेश में कस्बों और शहरों का विकास

2124. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कस्बों तथा शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशियों का आवंटन किया जाता है; यदि हां, तो इसके क्या आधार तथा मानदंड हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 1987-88 के लिए कितना प्रावधान किया गया है; और

(ग) इस धनराशि का किन-किन स्थानों पर कितना और किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास

के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया की जाती है। राज्य को कुल कस्बों की संख्या का नियतन करने के लिए कस्बों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जाता है:

(i) जनसंख्या 1 लाख से कम होनी चाहिए;

(ii) जिला मुख्यालय के कस्बों और इसके पश्चात उप-मण्डलीय कस्बों, मंडी कस्बों और अन्य महत्वपूर्ण विकास केन्द्रों को वरीयता दी जाएगी ;

(iii) चयनित कस्बे ऐसे होने चाहिऐ जो ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रव्रजन को रोक सकें और जिला तथा क्षेत्रीय विकास के प्रसंग में ग्रामीण भीतरी प्रदेश के लिए सेवा और बाजार केन्द्रों की भूमिका निभा सकें;

(iv) कस्बे की रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता।

(ख) और (ग) तीन वर्षों के दौरान कस्बावार रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है (**नीचे देखिये**) अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है। समान आधार पर केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटकों में आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास, यातायात और परिवहन, बाजार और मंडियां, कम लागत की स्वच्छता योजनाएं इत्यादि सम्मिलित हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	कस्बे का नाम	रिलीज की गई निधियां		
		1985-86	1986-87	1987-88 (सितम्बर, 87 तक)
1.	जौनपुर	—	12.25	—
2.	आजमगढ़	—	6.00	7.00
3.	हाथरस	7.00	—	—
4.	बाराबंकी	—	10.00	—
5.	एटा	—	5.00	5.00
6.	बलिया	6.00	1.00	—
7.	महोबा	5.53	—	—
8.	सीतापुर	4.00	7.00	—
9.	मैनपुरी	12.00	—	—
10.	हरदोई	—	3.00	—
11.	देवरिया	8.00	—	—
12.	बदायूं	5.50	—	—
13.	अमेठी	—	20.00	—
14.	काशीपुर	9.00	3.00	—
15.	पदरौना	18.00	—	—

क्र० सं०	कस्बे का नाम	रिलीज की गई निधियां 1985–86	1986–87	1987–88 (सितम्बर, 87 तक)
16.	सुल्तानपुर	9.00	—	—
17.	बिस्वान	8.40	0.85	—
18.	शामली	10.00	20.00	—
19.	भदोही	—	25.50	—
20.	मौनथ भंजन	—	25.90	—
21.	शंडीला	—	27.00	—
22.	पीलीभीत	—	15.00	—
23.	ललितपुर	—	25.30	—
24.	बहराईच	—	25.55	—
25.	मिर्जापुर	—	10.00	18.80
26.	इटावा	—	10.00	10.00
27.	सम्भल	—	10.00	10.00
	योग :	102.43	266.35	50.80

Irregularities in payment of conveyance allowance

2125. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what are the particulars of officers of the Modern Food industries who are entitled to receive conveyance allowance;

(b) whether it is a fact that irregularities have been committed in disbursing the conveyance allowance to officers not entitled to such payments, misuse of office vehicles and extra payments to officers against the rules;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Since 20th June, 1975 the following categories of officers are entitled to draw conveyance allowance:-

(i) General Manager

(ii) Sales Manager

(iii) Sales Supervisor

(iv) Engineering Supervisor (Automobiles)

Prior to 20th June, 1975 certain other managers/supervisors not included in the above categories also used to receive the conveyance allowance. Under a special dispensation these managers/supervisors were allowed by the Company to continue to receive the amount of conveyance